भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1355

दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जे.जे.एम. का कार्यान्वयन

1355. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की राज्य-वार क्या स्थिति है और इसकी लक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या हर घर जल गांवों की सूचित संख्या और इसके संबंध में स्वतंत्र मूल्यांकन के निष्कर्षों के बीच विसंगति पाई गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सूचित की गई संख्याओं की विश्वसनीयता के समाधान और योजना के वास्तविक निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे उन क्षेत्रों में जहां कार्यान्वयन धीमा या अपर्याप्त रहा है, घरों को जोड़ने की गति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप द्वारा पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के सरकार के वायदे के बावजूद देश में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों के लिए पाइप द्वारा पीने योग्य पानी तक पहुंच की निरंतर कमी के क्या कारण हैं; और

(च) गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ क्षेत्रों में जल उपलब्धता और जल संदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल क्रियान्वित कर रही है। जल राज्य का विषय है और इसलिए उनके घरों में नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, 9.41 करोड़ और ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस प्रकार, 24.07.2023 तक, देश के 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में

से 12.64 करोड़ (64.95)% परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) से (च) जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी गांव में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन का प्रावधान करने के बाद, राज्य का ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग परियोजना से जुड़े क्षेत्र अभियंता की कार्य पूर्णता रिपोर्ट के आधार पर गांव को 'हर घर जल' गांव के रूप में घोषित करता है। ऐसे गांवों को जेजेएम आईएमआईएस में 'हर घर जल सूचित' के रूप में चिह्नित किया जाता है। इसके बाद, ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्य पूर्णता रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से स्वयं को 'हर घर जल' गांव के रूप में प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है।

कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा सा वीडियो प्रमाणित किए गए प्रत्येक गांव के लिए जेजेएम डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। इस प्रकार, हर घर जल गांवों की सूचित संख्या में कोई विसंगति नहीं है। रिपोर्ट किए गए और प्रमाणित हर घर जल गांवों के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे निम्नलिखित वेबलिंक का उपयोग करके देखा जा सकता है।

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx.

ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (एनपीएमयू) के अधिकारियों आदि द्वारा क्षेत्र के दौरों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाती है।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण की शक्तियां राज्यों के पास निहित हैं। तथापि, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर संयुक्त चर्चा और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना तथा कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि करना शामिल हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में, अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत के बाद से, 51.96 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.07.2023 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में 95.36 लाख ग्रामीण परिवारों में से 54.77 लाख (57.43%) परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। जेजेएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का उपयोग गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए सतही जल स्रोतों या वैकल्पिक सुरक्षित भूजल स्रोतों जैसे सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित बड़ी मात्रा में जल अंतरण की पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाए और उन्हें कार्यान्वित करें।

*****

अनुबंध

दिनांक 27.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1355 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

24/07/2023 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	कुल ग्रामीण परिवार (लाख में)	सूचित किए गए कुल घरेलू कनेक्शन (लाख में)	%
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.62	100
2	आंध्र प्रदेश	95.54	66.95	70.07
3	अरुणाचल प्रदेश	2.30	1.97	85.44
4	असम	68.25	35.91	52.61
5	बिहार	166.30	160.28	96.38
6	छत्तीसगढ़	50.11	27.08	54.04
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	0.85	0.85	100
8	गोवा	2.63	2.63	100
9	गुजरात	91.18	91.18	100
10	हरियाणा	30.41	30.41	100
11	हिमाचल प्रदेश	17.08	17.08	100
12	जम्मू एवं कश्मीर	18.66	12.42	66.60
13	झारखंड	61.27	23.91	39.02
14	कर्नाटक	101.16	69.62	68.82
15	केरल	70.81	35.31	49.86
16	लद्दाख	0.42	0.33	77.86
17	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.42
18	मध्य प्रदेश	119.64	61.22	51.17
19	महाराष्ट्र	146.73	113.97	77.67
20	मणिपुर	4.52	3.46	76.72
21	मेघालय	6.51	3.49	53.69
22	मिजोरम	1.33	1.20	90.54
23	नागालैंड	3.69	2.73	73.98
24	ओडिशा	88.67	55.32	62.39
25	पुदुचेरी	1.14	1.14	100
26	पंजाब	34.25	34.25	100
27	राजस्थान	108.02	44.55	41.24
28	सिक्किम	1.31	1.14	86.38
29	तमिलनाडु	125.53	88.57	70.56
30	तेलंगाना	53.98	53.98	100
31	त्रिपुरा	7.43	4.92	66.22
32	उत्तर प्रदेश	266.55	142.56	53.48
33	उत्तराखंड	14.94	11.76	78.73
34	पश्चिम बंगाल	184.54	63.46	34.39
	कुल	**1,946.63**	**1,264.39**	**64.95**

स्रोत:जेजेएम-आईएमआईएस